

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या—कौन/भी—108/2024

पटना, दिनांक—

श्री तेज कान्त झा, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, मध्य अंचल, पटना सम्प्रति राज्य कर संयुक्त आयुक्त, बक्सर अंचल, बक्सर को उनके मध्य अंचल, पटना के पदस्थापन काल में वर्ष 2018-19 के जी0एस0टी0 अंकेक्षण के 10 मामलों/अभिलेखों का अंकेक्षण कार्य आवंटित था। बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-65 के अधीन अंकेक्षण कार्य हेतु प्रदत्त शक्ति एवं आवंटन के बावजूद श्री झा द्वारा उक्त सभी 10 मामलों का अंकेक्षण कार्य ससमय निष्पादित नहीं किया गया एवं इन सभी मामलों में Maximum Extension Permissible for Work Audit की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी।

श्री झा दिनांक-30.06.2023 तक मध्य अंचल, पटना में पदस्थापित रहे। श्री झा Maximum Extension Permissible date तक मध्य अंचल, पटना में ही पदस्थापित रहे हैं एवं उक्त समय अवधि में ही अंकेक्षण कार्य किया जा सकता था। श्री झा को अंकेक्षण कार्य प्रगति में यदि किसी कारणवश कठिनाई थी तो इसकी सूचना निश्चित रूप से वरीय पदाधिकारी को देना चाहिए था ताकि समय रहते कठिनाईयों का मूल्यांकन कर सकारात्मक कदम उठाया जा सकता था। परंतु श्री झा इसकी सूचना दिये बगैर सभी 10 मामलों/अभिलेखों को यथावत् छोड़कर अपने अधिसूचित नवपदस्थापन अंचल (हाजीपुर अंचल, हाजीपुर) चले गये। इस प्रकार श्री झा द्वारा अपने अंकेक्षण कार्यों को समय पर सम्पन्न नहीं किया गया।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक-3781 दिनांक-20.10.2023 द्वारा राज्य कर अपर आयुक्त(अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना को संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने तथा अपने स्पष्ट मंतव्य एवं प्रस्ताव के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत संतोषप्रद नहीं पाते हुये विभागीय पत्रांक-227 दिनांक-15.01.2024 के द्वारा राज्य कर अपर आयुक्त(अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना से श्री झा के स्पष्टीकरण के आलोक में जाँचोपरांत स्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में राज्य कर अपर आयुक्त (अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना के पत्रांक-31 दिनांक-18.01.2024 द्वारा अपने मंतव्य सहित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसमें उनके द्वारा अपना अभिमत अंकित किया गया कि श्री तेज कान्त झा, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, मध्य अंचल, पटना अंकेक्षण कार्य के प्रति उदासीन पाये गये हैं एवं इस परिदृश्य में श्री झा द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक है।

तदालोक में समीक्षोपरांत श्री झा के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया जिसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। श्री झा से विभागीय पत्रांक-220/सी(अनु0) दिनांक-19.07.2024 द्वारा आरोप पत्र के आलोक में लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी। श्री झा से प्राप्त बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत उन्हें सक्षम प्राधिकार द्वारा चेतावनी संसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री तेज कान्त झा, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, मध्य अंचल, पटना सम्प्रति राज्य कर संयुक्त आयुक्त, बक्सर अंचल, बक्सर को चेतावनी दिया जाता है, जिसकी प्रविष्टि इनके चारित्री वर्ष 2025-2026 में की जाएगी।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- कौन/भी-108/2024 371/1A

पटना, दिनांक- 31.12.25

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री वाणिज्य-कर विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/वित्त (ब्यै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित दो प्रतियों में (आई0टी0 मैनेजर के माध्यम से)/राज्य कर संयुक्त आयुक्त, राजपत्रित स्थापना शाखा/राज्य कर अपर आयुक्त(अंकेक्षण), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना/राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), पटना मध्य अंचल-1, पटना/राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), पटना मध्य अंचल-2, पटना/ राज्य कर संयुक्त आयुक्त(प्रभारी), बक्सर अंचल, बक्सर/ अवर सचिव, राजपत्रित स्थापना शाखा/ आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं श्री तेज कांत झा, राज्य कर संयुक्त आयुक्त, बक्सर अंचल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

अ.स.म.प.